

भारत का राजपत्र
The Gazette of India,

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 1972/श्रावण 20, 1894

No. 178]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 1972/SRAVANA 20, 1894

इस भाग में विशेष धृष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th August 1972

SUBJECT.—*Import of 'Dates' [S. No. 21(b)/IV] from IRAN during July—December, 1971 licensing period Extension in the validity period.*

No. 116-ITC(PN)/72.—Attention of importers is invited to paragraph 9 of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 166-ITC(PN)/71 dated the 2nd December, 1971, in terms of which licences issued for Import of 'Dates' from Iran for the period July—December, 1971 are valid for a period of six months from the date of issue.

2. On a review of the position it has been decided that the validity period of unutilized/partially utilized licences, issued for import of 'Dates' from Iran in terms of the aforesaid Public Notice, which are expiring before 31st October, 1972 may be deemed to have been extended upto the 31st October, 1972. No endorsement to this effect is necessary to be made on the licences by the licensing authority concerned. The Customs Authorities will allow clearance within the extended date on the basis of this Public Notice, if the imports are otherwise in order.

K. T. SATARAWALA,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1972

विषय.—लाइसेंस अवधि जुलाई-दिसम्बर, 1971 के दौरान ईरान से 'खजूरों' [क्रम संख्या 21 (बी)/4] का आयात—वैधता अवधि में वृद्धि।

सं० 116-आई० टी० सी० (पीएन)/72.—आयातकों का ध्यान विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 166-आई० टी० सी० (पीएन)/71, दिनांक 2 दिसम्बर, 1971 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार जुलाई-दिसम्बर, 1971 की अवधि के लिए ईरान से 'खजूरों' के आयात के लिए जो लाइसेंस जारी किए गए थे, वे उनके जारी किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए वैध हैं।

2. स्थिति की पुनरिक्षा कर यह निश्चय किया गया है कि ईरान से 'खजूरों' के आयात के लिए उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार जो लाइसेंस जारी किए गए थे और जो 31 अक्टूबर, 1972 के पहले समाप्त हो जाने वाले हैं, तो बिना उपयोग किए गए/अंशिक उपयोग किए गए लाइसेंसों की वैधता अवधि को 31 अक्टूबर 1972 तक बढ़ाया गया समझा जाए। इस सम्बन्ध में लाइसेंसों पर सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकन करने की जरूरत नहीं है। यदि आयात अन्यथा रूप से ठीक है तो सीमा-शुल्क प्राधिकारी इस सार्वजनिक सूचना के आधार पर बढ़ाई गई अवधि के भीतर निकासी की स्वीकृति देंगे।

के० टी० सतारावाला,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।